

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा, जिला-
रीवा संमोप्र०



मं 20 के लिए
उत्प/ 08

श्री विनय शर्मा
अध्यापक
24-4-12
सतना

1- अयोध्या प्रसाद पटेल तनय श्री बाबूलाल पटेल उम्र 53 साल, पेगा-
खेती निवासी ग्राम पगरा, पो० महुड़र, तहसील अमरपाटन, जिला -
सतना संमोप्र० --- निगरानीकर्ता

बिस्द

- 1- लालजी शुक्ला, दोनों के पिता स्व० श्री शिवमूर्ति प्रसाद
- 2- प्रहलाद शुक्ला, दोनों निवासी ग्राम मौहारी कटरा, तह०
- 3- आदित्य प्रसाद शुक्ला, अमरपाटन, जिला सतना संमोप्र०
- 4- कृष्णदत्त, दोनों के पिता चन्द्रशेखर प्रसाद
- 5- रामभुवन, दोनों निवासी ग्राम मौहारी कटरा, हाल मुकाम
विपरवाह कर्सा तहसील महर, जिला सतना संमोप्र०
- 6- सोमकवि बेवा पत्नी श्री गोमती प्रसाद निवासी मौहारी कटरा
तहसील अमरपाटन, जिला सतना संमोप्र०
- 7- अरुण कुमार, दोनों के पिता श्री गोमती प्रसाद
- 8- अम्बुज कुमार निवासी मौहारी कटरा, तह० अमरपाटन, जिला सतना
- 9- रवीन्द्रनाथ तनय स्व० श्री सीताराम शुक्ला निवासी मौहारी कटरा,
तहसील अमरपाटन, जिला सतना संमोप्र०
- 10- ओंकार प्रसाद तनय श्री रामकुमार शुक्ला, निवासी ग्राम मौहारी
कटरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना संमोप्र०

अनावेकगण

अनुविभागीय अधिकारी सपुराजनार, जिला
सतना द्वारा प्रकरण क्रमंक 142/अपील/
2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22/3/
2012 तथा की जा रही अध्यात्मिक कार्यवा-
-हियों के बिस्द निगरानी याचिका, अन्तर्गत
धारा 50 भू-राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

आवेक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

- 1- प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं, कि अनुविभागीय

म

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

96

क्रमांक R1197-V12

जिला-सतना

अयोध्या पटेल/ लालजी शुक्ला वगैर

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 142/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	